307

सहकारी सामहिक ग्रावास समितिया को करीब 1248 एकड भूमि आबंटित की है। द्वारका चरण $-\mathbf{I}$  ग्रौर  $\mathbf{I}$ तथा नरेला में करीब 400 सहकारी सामृहिक ग्रावास समितियों को भूमि ग्राबंटित करने का प्रस्ताव है। शेष समितियों के लिए भूमि की भ्रतुमानित म्रावश्यकता करीं 900 हैद्देयर होगी। इन समितियों को भूमि का ब्राइंटन भूमि का ग्रीर ग्रधिग्रहण ग्रीर विकास करने के पश्चात ही किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए इस समय कोई निश्चित समय-सीमा नहीं बनाई जासकती है।

## Allotment of Houses/Plots by D.D.A.

1245, SARDAR **JAGJIT** SINGH AURORA:

## SHRI RANJIT SINGH-

Will the Minister of URBAN DEVE-LOPMENT be pleased to state:

- (a) whether it is a fact that a large number of applicants are registered with Delhi Development Authority for residential plots and residential units etc.;
- (b) if so, what is the number of applicants who were not allotted plots or residential units till December 1990, and whether Government have time-bound any programme to meet the needs of the remaining registered applicants; and
- (c) if so, the details in this regard and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF URBAN DEVE-LOPMENT (SHRI **DAULAT** RAM SARAN); (a) Yes, Sir

(b) and (c) 91,448 registrants for flats and 45,856 registrants for plots were awaiting allotment till December, 1990. these registrants are likely to be allotted flats/plots by the end of 8th Five Year Plan.

## दिल्ली में तहकारी भावात तमि यों को भमि का ग्रावंटन

1246 सरदार जगजीत सिंह श्ररोड़ा : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कुपा करोंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली में लगभग

- सहकारी ग्रावास 320 भूमि म्रावंटित करने की प्रक्रिया **ब्रारम्भ कर दी है**;
- (ख) यदि हां, तो इन समितियों भ मि भ्रावंटन कब तक कर का जायेगः तथा उन्हें भूमि का कब्जा दे दिया जायेगाः :
- (ग) क्या यह भी सच है कि इन समितियों को दी जाने वाली भिम की कीमत सभी 975 रुपये प्रति वर्ग मीटर निर्धारित की गयी है ; स्रौर
- (घ) क्या यह भी सच है कि वर्ष 1987 में पप्पनकलां की भिम की कीमत रुपये प्रति वर्ग श्रांकी गयी थी श्रौर इस दर पर डी० डी०ए० द्वारा कितनी भूमि ग्रावंटित की गयी थी ?

शहरी विकास मंत्री (श्री वौलत राम सारण) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने द्वारका चरण−। तथा ॥ ग्रीर नरेला सहकारी सामहिक लगभग 400 भावास समितियों को भूमि भ्रावंटित करने कार्यवाही ग्रारम्भ कर दी है।

- (ख) प्रीमियम की ग्रदायगी सहित ग्रौपच रिकताग्रों के पर तथा समितियों की परस्पर-वरिष्ठता करने के लिये निर्धारित किये गये मःनदंड को चुनौती देने संबंधी उच्च न्यायालय में दायर विभिन्न रिट याचि-काम्रों निर्णय की शर्तपर। के
- समितियों (ग) द्वारका में भिम के ग्रावंटन के लिये चालू दर 975 मीटर नियत की गई रुपये प्रति वर्ग है ।
- (घ) 1-9-87 से 31-8-88 तक दक्षिण और केन्द्रीय दिल्ली क्षेत्र के लिये भूमि की वैध दरें 450 रुपये प्रति वर्ग मीटर थी । तथापि, इस दर पर पप्पन कलां/द्वारका में कोई भिम ग्राबंटित नहीं की गई है।